

हेराफेरी

‘पार्टनर’ गिरफ्तार, अब बड़े नामों पर नजर ?

सोनू जैन की गिरफ्तारी के बाद चावल घोटाले में नया मोड़

नवभारत, बालाघाट। मध्यप्रदेश के बहुचर्चित सरकारी चावल की कथित हेराफेरी मामले में अब पूरा फोकस जमानत की लड़ाई और एसआईटी की जांच पर है। वारासिवनी न्यायालय से कई आरोपियों को राहत नहीं मिलने के बाद मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है।

दूसरी तरफ एसआईटी भी लगातार एक्टिव मोड में है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ, उनकी निशानदेही पर कथित साक्ष्य जुटाने और केस डायरी तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है—जांच एजेंसी के पास आखिर कौन से ऐसे सबूत हैं, जिनके आधार पर आरोपियों की जमानत का विरोध किया जा रहा है ?

फिलहाल, कोर्ट की कार्रवाई और एसआईटी की जांच—दोनों ने इस केस को फिर से सुर्खियों में ला दिया है।

एफसीआई गोदाम से एथेनॉल प्लांट के लिए भेजे जाने वाले चावल को कथित तौर पर राइस मिलों की ओर डायवर्ट किए जाने

के मामले में दर्ज अपराध क्रमांक 272/2026 में अब तक 13 आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी सामने आई है।

इनमें चालक दुर्गेश शेंडे, एवीजे प्लांट प्रतिनिधि राहुल प्रताप, सुपरवाइजर राकेश श्रीवास्तव, ट्रांसपोर्टर उबेद खान, राइस मिलर्स बिहारी पटेल, अतुल बिसेन, सुरेंद्र राणा, गौरव माहेश्वरी, जुगल किशोर खंडेलवाल, किशनलाल खंडेलवाल, विनोद शर्मा, राजेश संचेती और सोनू जैन के नाम शामिल बनाए गए हैं।

मामले में सौरभ संचेती, उबेद खान और राहुल प्रताप सिंह की जमानत संबंधी याचिकाओं पर भी न्यायालयीन कार्यवाही हुई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट में राहुल प्रताप सिंह की जमानत याचिका उनके अधिवक्ता द्वारा वापस लिए जाने के कारण निरस्त हो गई, जबकि सौरभ संचेती की अग्रिम जमानत और उबेद खान की जमानत याचिका पर कार्यवाही जारी बताई गई है।

22 जुलाई को सौरभ संचेती



की अग्रिम जमानत और गंभीर संचेती से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता ने केस डायरी पेश करने के लिए समय मांगा। हाईकोर्ट ने समय प्रदान किया। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार केस डायरी पेश होने पर 31 जुलाई को इन याचिकाओं पर महत्वपूर्ण सुनवाई हो सकती है।

हालांकि, किसी भी आरोपी को दोषसिद्धि केवल न्यायालय द्वारा साक्ष्यों के परीक्षण और अंतिम निर्णय के बाद ही तय होगी।

सिवनी स्थित नंदगोपाल राइस मिल के संचालक सोनू जैन की

गिरफ्तारी को जांच की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस द्वारा उन्हें कथित तौर पर तीन दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ किए जाने की जानकारी सामने आई है।

सूत्रों के अनुसार, पुलिस सोनू जैन को लेकर सिवनी स्थित नंदगोपाल राइस मिल भी पहुंची, जहां से कथित तौर पर बड़ी संख्या में खाली बोरियां बरामद कर जब्त की गईं। बताया जा रहा है कि इन बोरियों पर एफसीआई गोदाम नवेगांव से चावल की ढुलाई से जुड़े निशानों और विवरणों की जांच की जा रही है।

जांच एजेंसी अब यह पता

लगाने में जुटी है कि एफसीआई गोदाम से एवीजे एथेनॉल प्लांट, बोरगांव, छिंदवाड़ा के लिए भेजा गया चावल कथित तौर पर नंदगोपाल राइस मिल तक कैसे पहुंचा और वहां मिले खाली बोरो का इस पूरी सप्लाय चेन से क्या कनेक्शन है।

अगर जांच में इन बोरियों, परिवहन दस्तावेजों और चावल की आवाजाही के बीच सीधा संबंध स्थापित होता है, तो यह केस के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित हो सकता है। फिलहाल, पुलिस पूछताछ और जांच जारी है तथा पूरे घटनाक्रम की वास्तविक तस्वीर जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगी।

हर्ष राइस मिल के बिजनेस पार्टनर विनोद शर्मा की गिरफ्तारी के बाद मिल के वित्तीय लेन-देन और कारोबारी संबंधों की जांच की बात सामने आई है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि यदि जांच में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है, तो क्या उसके खिलाफ भी कानून के अनुसार कार्रवाई होगी ?

कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि, एसएसपी महाविद्यालय में मनाया गया विजय दिवस

नवभारत, बालाघाट। शासकीय शंकर साव पटेल महाविद्यालय, वारासिवनी में एनसीसी इकाई एवं राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के संयुक्त तत्वावधान में कारगिल विजय दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनकी वीरता, साहस और राष्ट्रभक्ति को नमन किया गया।

आयुक्त उच्च शिक्षा के निर्देशानुसार तथा 6 म.प्र. बटालियन एनसीसी, बालाघाट के कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल विनीत कमल गुप्ता के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एस.एस. गेड्डाम ने की। कार्यक्रम का संचालन एनसीसी अधिकारी मेजर डॉ. हेमन्त कुमार मण्डाले ने किया।

अपने अध्यक्षीय उद्घोषण में डॉ. गेड्डाम ने कहा कि कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए दुश्मनों से अपनी भूमि को पुनः हासिल किया। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा



केवल सेना ही नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की भी जिम्मेदारी है और सभी को राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति सदैव सजग रहना चाहिए। वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक डॉ. रक्षा निकोसे ने अपने संबोधन में कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों की शहादत से आज की युवा पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित रहना चाहिए।

एनएसएस अधिकारी श्री कृष्णा पराते ने कैडेट्स एवं विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना प्रत्येक युवा का कर्तव्य है।

इस अवसर पर विद्यार्थियों को कारगिल विजय पर आधारित एक प्रेरणादायक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई।

कार्यक्रम में क्रीड़ा अधिकारी श्री विकास साहू सहित महाविद्यालय के शिक्षकगण, एनसीसी एवं एनएसएस के स्वयंसेवक उपस्थित रहे। आयोजन में अंडर ऑफिसर कुष नेवारे, क्वार्टर मास्टर प्रफुल्ल गोटेकर, सीपीएल आयुषी राहगडाले, सीनियर कैडेट सुरभि मिश्रा सहित लगभग 30 एनसीसी कैडेट्स एवं एनएसएस स्वयंसेवकों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। कार्यक्रम के तकनीकी सहयोग में कैडेट कृष्णा वंजारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।



बालाघाट कलेक्टर का हुआ छतरपुर स्थानांतरण

बालाघाट। मध्य प्रदेश सरकार ने आज बालाघाट कलेक्टर श्री मृणाल मिणा का छतरपुर स्थानांतरण कर दिया है वहीं 2017 बैच के आईएएस श्री कुमार सत्यम अपर कलेक्टर ग्वालिगर को बालाघाट का कलेक्टर बनाया गया है।

बालाघाट जिले के शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त सीटों पर 31 जुलाई तक प्रवेश का अवसर

बालाघाट। मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ई-प्रवेश प्रक्रिया जारी है। प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। विभाग ने जिले के पात्र विद्यार्थियों से समय रहते ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की अपील की है। पीजी कॉलेज बालाघाट के प्राचार्य श्री मरठे ने बताया कि जिले के 15 शासकीय महाविद्यालयों में कुल 7,983 सीटें अभी भी रिक्त हैं। इनमें स्नातक, स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की सीटें शामिल हैं। जटाशंकर त्रिवेदी शासकीय महाविद्यालय, बालाघाट में स्नातकोत्तर स्तर पर विशेष रूप से कला संकाय के विषयों में बड़ी संख्या में सीटें उपलब्ध हैं। जिले में सबसे अधिक 1,902 सीटें शासकीय अरण्य भारती महाविद्यालय, बैहर में रिक्त हैं। इसके अलावा शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय, बालाघाट में 942, शासकीय महाविद्यालय लालबारी में 830, शासकीय महाविद्यालय कटंगी में 821, शासकीय शंकर साव पटेल महाविद्यालय वारासिवनी में 670 तथा शासकीय महाविद्यालय मलाजखंड में 663 सीटें खाली हैं। इसी प्रकार शासकीय महाविद्यालय हट्टा में 481, शासकीय कमला नेहरू कला महाविद्यालय बालाघाट में 454, शासकीय महाविद्यालय लामता में 320, शासकीय महाविद्यालय खैरलांजी में 260, शासकीय महाविद्यालय परसवाड़ा में 204, शासकीय महाविद्यालय तिरौड़ी में 200, शासकीय महाविद्यालय किरनापुर में 142 तथा शासकीय महाविद्यालय लांजी में 94 सीटें रिक्त हैं।

अमानक उर्वरक के क्रय विक्रय एवं भण्डारण पर लगाया गया प्रतिबंध

नवभारत, बालाघाट। अधिसूचित प्राधिकारी एवं उपसंचालक कृषि श्री फूलसिंह मालवीय ने मप्र राज्य विपणन संघ मर्यादित लांजी की संस्था से लिये गए उर्वरक सिंगल सुपर फास्फेट के नमूने प्रयोगशाला जांच में अमानक पाये जाने पर बैच क्रमांक बीपीएम/25/06/066 के जिले में क्रय विक्रय एवं भण्डारण पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है।

उर्वरक निरीक्षक द्वारा 07 जुलाई 2026 को उक्त बैच के सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक के नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला जांच के लिए उज्जैन भेजे गए थे। ब्लू



फोस्फेट लिमिटेड मावली जिला उदयपुर द्वारा निर्मित उक्त उर्वरक के नमूने प्रयोगशाला जांच में अमानक पाए जाने के कारण यह कार्यवाही की गई है। उर्वरक निमाता कंपनी की भी नोटिस जारी

किया गया है कि उनके द्वारा अमानक पाये गए लॉट का उर्वरक कहीं कहीं कितनी मात्रा में प्रदाय किया गया है। निमाता कंपनी को 07 दिनों के भीतर स्पटीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है।

अघोषित विद्युत कटौती बंद करे विभाग अन्यथा होगा आंदोलन : विवेक पटेल

नवभारत, वारासिवनी। वारासिवनी-खैरलांजी क्षेत्र में लगातार हो रही अघोषित विद्युत कटौती और कम वोल्टेज से किसानों की सिंचाई और फसलें प्रभावित हो रही है। क्षेत्र के किसान अब विभुत विभाग की कार्यप्रणाली से परेशान हो चुका है। इन सभी परेशानियों को देखते हुए किसानों ने विधायक विवेक विक्की पटेल को अघोषित विद्युत कटौती, कम वोल्टेज और विभागिय कर्मचारियों के व्यवहार से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराया है। शिकायत के बाद विधायक विवेक विक्की पटेल ने भी विद्युत विभाग के वरिष्ठ



अधिकारियों से दूरभाष पर चर्चा कर क्षेत्र की स्थिति की जानकारी दी। और संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के साथ ही चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही विद्युत संबंधी परेशानियों को दूर नहीं करेगा तो जल्द ही किसानों के साथ मिलकर विद्युत विभाग के सामने हजारों की संख्या

में घेराव करेंगे जिसकी पूरी जिम्मेदारी विद्युत विभाग की होगी। विधायक विवेक विक्की पटेल ने बताया कि कई दिनों से बिना सूचना के बिजली आपूर्ति बाधित किया जा रहा है। मानसूनी बारिश की कमी, अघोषित विद्युत कटौती के कारण पलकूप और पंप समय पर नहीं चल पा रहे हैं जिससे

29 एवं 30 जुलाई को बालाघाट जिले में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना

नवभारत, बालाघाट। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), नई दिल्ली के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल से प्राप्त पाँच दिवसीय मध्यम श्रेणी के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार बालाघाट जिले में आगामी दो दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। जिला कृषि मौसम इकाई, कृषि विज्ञान केन्द्र, बड़गाँव-बालाघाट ने मौसम को देखते हुए किसानों एवं आम नागरिकों से आवश्यक सावधानी बताने की अपील की है। कृषि विज्ञान केन्द्र बड़गाँव के वैज्ञानिक डॉ. धर्मेन्द्र आसारे ने बताया कि मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 29

जुलाई को बालाघाट जिले में भारी बादलों के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं 30 जुलाई को बहुत भारी वर्षा, आकाशीय बिजली गिरने तथा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफतार से तेज हवा चलने और आंधी-तूफान की संभावना जताई गई है। इस अवधि में जिले का अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सुबह के समय हवा में 98 से 100 प्रतिशत तथा दोपहर में 80 से 87 प्रतिशत तक आर्द्रता रहने की संभावना है।

गुरु पूर्णिमा पर सान्दीपनी स्कूल से सिनेमा चौक तक निकली स्वच्छता रैली

‘स्वच्छता ही सेवा है’ के नारों से गुंजा कटंगी

नवभारत कटंगी 28 जुलाई। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सान्दीपनी स्कूल द्वारा स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। रैली विद्यालय परिसर से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए सिनेमा चौक तक पहुंची। इस दौरान छात्र-



छात्राओं ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर ‘स्वच्छता ही सेवा है’, ‘एक कदम स्वच्छता की ओर’, ‘प्लास्टिक मुक्त कटंगी’ के नारे लगाए।

प्राचार्य ने हरी झंडी दिखाकर रैली रवाना की

रैली का शुभारंभ प्राचार्य यतीन्द्र कुमार

अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर पखवाड़ा के नोडल अधिकारी श्यामकमल गौतम एवं निर्दोष डोंगर, रैली प्रभारी रंजीत कुमार मेश्राम एवं विशाल राऊतकर उपस्थित रहे।

स्वच्छ समाज के निर्माण में युवाओं की भूमिका अहम

कार्यक्रम में वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद प्रतिनिधि खेमू कांचर विशेष रूप से शामिल हुए। उन्होंने छात्रों को स्वच्छता का संकल्प दिलाया और कहा कि स्वच्छ समाज के निर्माण में युवाओं की भूमिका

ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने नहीं दिया कोर्ट में जवाब : कांकरिया

नवभारत, बालाघाट। विगत दिवस श्रीराम मंदिर ट्रस्ट, अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट, अंग्रेजी स्कूल ट्रस्ट तथा अग्रवाल समाज ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया जिसमें उन्होंने कि दानदास मिश्रा लाल माहेश्वरी ने अपनी मृत्यु के पहले सारी सम्पत्ति पारिवारिक जनों को न देकर अलग अलग मंदिर, स्कूल सामाजिक भवन, ट्रस्ट, को दान हेतु 16 अगस्त 1996 को वसीयत लिखी थी तथा उसे निष्पादित करने के लिये सुरजमल बोहरा को बंद लिफाफे में सौंपी थी। निर्देश दिये थे कि मेरी मृत्यु के बाद उसे मूल अवस्था में अनिल कांकरिया को सौंप देना।

विधिक नोटिसों के जवाब में सुरजमल बोहरा ने स्वीकार किया है कि स्वर्गीय मोहनलाल माहेश्वरी ने उन्हें एक बंद लिफाफा सौंपा था जिसे मैंने उनके निर्देशानुसार अनिल



कांकरिया को सौंप दिया। जिस पर अनिल कांकरिया ने भी अपने लिखित उत्तर में यह स्वीकार किया है कि उन्हें उक्त वसीयत पुरजमल बोहरा से मोहनलाल माहेश्वरी के निधन के बाद प्राप्त हुई।

ट्रस्टों का कहना है कि यदि वसीयत वर्ष 1996 से अस्तित्व में थी और वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद संबंधित व्यक्तियों के कब्जे में आ गई थी, तो फिर उसका समय पर क्रियावन्वयन क्यों नहीं किया गया। उनका आरोप है कि वसीयत को लंबे समय तक

महत्वपूर्ण है।

इनका रहा विशेष योगदान

जानबूझकर गुप्त रखा गया और संबंधित हितधारकों को इसकी जानकारी नहीं दी गई। ट्रस्टों का यह भी आरोप है कि दस अवधि में मंदिर ट्रस्ट की मूल्यवान संपत्तियों का विक्रय एं अंतरण और अन्य वित्तीय लेन-देन किए गए। जिनसे कथित रूप से कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचा। ट्रस्ट पदाधिकारियों ने दावा किया है कि लगभग 60 करोड़ की उक्त संपत्ति का कुछ हिस्सा संबंधितों के वारसालों के द्वारा मिलीभगत करछल पूर्वक अन्यत्र लोगों को बेच भी दिया है।

ट्रस्ट ने मांग की है कि इस मामले में उच्च वरीय जांच हो। यदि जांच में यह आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह केवल वसीयतकर्ता की अंतिम इच्छा की अवहेलना नहीं बल्कि धार्मिक न्यास की संपत्तियों के साथ गंभीर विश्वासघात और समाज के साथ छल का मामला भी हो सकता है।